वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथे राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत "Farmers Participatory Action Research Programme for Citrus Greening Management with Sustainable Development" या प्रकल्पाच्या रुपये ४९३.०० लक्ष निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१२२४/प्र.क्र.४४/७-अे

> मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४

संदर्भ:-१.राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या ३४ व्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त-शासन पत्र क्र.आरकेवि-११२३/प्र.क्र.२३२१४-अे दि.२५.०१.२०२४.

२.संचालक(संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.मकृप/संशोधन/राकृवियो-प्रशा.मा./५७२/२०२४. दि.१४.०२.२०२४.

प्रस्तावना:-

मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या दि. ०८.०१.२०२४ रोजी झालेल्या ३४ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या बैठकीमध्ये "Farmers Participatory Action Research Programme for Citrus Greening Management with Sustainable Development", हा प्रकल्प वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथे राबविण्यास मान्यता प्रदान केली आहे. या प्रकल्पास राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याच्या स्वरूपात रु.४९३.०० लाख निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने रु.४९३.०० लाख नियतवाटप मंजूर करण्यास मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुसार संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत "Farmers Participatory Action Research Programme for Citrus Greening हा प्रकल्प Management with Sustainable Development", हा प्रकल्प वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथे रावविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

- 9. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत "Farmers Participatory Action Research Programme for Citrus Greening Management with Sustainable Development", या प्रकल्पासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ परभणी, येथे राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.
- २. सदर प्रकल्पाचा एकूण रु. ४९३.०० लाख (अक्षरी रुपये चार कोटी, त्र्याण्णव लाख फक्त) फक्त खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.
- ३. सदर प्रकल्पाच्या तीन वर्षाच्या खर्चाचा तपशील सोबतच्या **"परिशिष्ट अ"** नुसार राहील.
- ४. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कार्यान्वित प्रकल्पांचे प्रलंबित दायित्व विचारात घेता निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.
- ५. सदर प्रकल्प केंद्र शासनाद्वारे निर्गमीत राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ परभणी, येथे राबविण्यात येईल.
- ६. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी संचालक (संशोधन), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे संनियंत्रणाखाली कृषि विभागामार्फत करण्यात यावी व संचालक (संशोधन), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ परभणी यांनी प्रकल्पाचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला, तसेच, राज्य शासनाला सादर होईल याची दक्षता घ्यावी. त्याचप्रमाणे सदर योजनेतील निधी खर्चाचे लेखा परीक्षण, उपयोगिता प्रमाणपत्रे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना वेळोवेळी सादर करावीत.
- ७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२२३१५१५१७५००१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(प्रतिभा पाटील) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

- १. मा. मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई-३२.
- २. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई.
- ३. मा. अपर मुख्य सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
- ४. कृषी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे.

- ५. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन, पुणे.
- ६. कुलगुरु/कुलसचिव वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी.
- ७. संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषी व संशोधन परिषद, पुणे.
- ८. संचालक (संशोधन), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी.
- ९. सर्व संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- १०. सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- ११. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर.
- १२. संचालक, लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती).
- १३. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई.
- १४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी.
- १५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई.
- १६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई.
- १७. राकृवियो कक्ष, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १८. निवडनस्ती.

परिशिष्ट "अ"

शासन निर्णय क्र.मफुवि-१२२४/प्र.क्र.४४/७-ओ, दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२४ सोबत जोडावयाचे परिशिष्ट Component wise applicable cost norms of ongoing Scheme of GoI/GoM (Rs. in lakh)

| Sr No | Components | Total Cost (In | Applicable Ongoing Scheme of | Cost Sharing Partners | |
|----------|--|---|------------------------------|--|----------------------|
| | | Lakhs) | GoI/GoM Name | RKVY Beneficiary (Farmers, Field, Demo, Rally) | Implementing Agency |
| 1 | Equipment's for Citrus Greening molecular d | iagnostic labor | | | |
| 1 | Microscope | 7.00 | GeM | | Vasantrao Naik |
| 2 | Stereo Zoom Microscopes | 3.77 | GeM | | Marathwada Krishi |
| 3 | Computer (2) | 2.60 | GeM | 100% | Vidyapeeth, Parbhani |
| 4 | Ultra violet Cabinet | 1.00 | GeM | | |
| 5 | Wooden Insect Storage cabinet | 1.09 | GeM | | |
| 6 | Vertical Laminar Air Flow cabinet (2) | 12.00 | GeM | - | |
| 7 | Insect Boxes (25) | 1.10 | GeM | - | |
| 8 | Fermenter (200 lit) (6) | 108.00 | GeM | - | |
| 10 | Laboratory Refrigerator (2) BOD incubator (2) | 2.00 | GeM | - | |
| 11 | | 2.08 | GeM GeM | - | |
| 12 | Air Conditioner 6 Ton (4) Orbital Shaker Incubator (2) | 20.0 | GeM | 1 | |
| 13 | Planetary ball Mill | 6.00 | GeM | - | |
| 14 | Top Loading Table Top Autoclave (2) | 20.00 | GeM | 1 | |
| 15 | Refrigerated Centrifuge | 8.00 | GeM | 1 | |
| 16 | Water Purification System | 6.45 | GeM | 1 | |
| 17 | Conventional PCR | 6.50 | GeM | 1 | |
| 18 | Real Time PCR | 28.00 | GeM | 1 | |
| 19 | Gel Documentation System | 16.70 | GeM | 1 | |
| 20 | Stainless Steel Racks (40) | 6.00 | GeM | 1 | |
| 21 | Online UPS (2) | 23.20 | GeM | 1 | |
| 22 | Power Generator | 11.00 | GeM |] | |
| 23 | Weighing Scale 220 g | 13.50 | GeM | 1 | |
| 24 | Deep Freezer | 5.00 | GeM | 1 | |
| 25 | Laptop (2) | 2.00 | GeM | | |
| 26 | Digital Data logger (2) | 3.20 | GeM | | |
| 27 | Oven Machine (2) | 4.70 | GeM | | |
| 28 | Variable Volume Micropipette (2) | 2.00 | GeM | | |
| | Total | 332.89 | | | |
| 2 | Glassware's | 20 | GeM | | |
| 3 | Chemicals | 20 | GoM | | |
| 4 | Plastic wares | 20 | GeM | - | |
| 5 | Field Visit, collection and molecular diagnosis of diseased samples (@ Rs 1000 per sample (Rs 10 Lakhs /district) | 80.00 | GoM | | |
| 6 | HRD (Training (Field days, meetings and inhouse training, study materials) | 10 | GoM | | |
| 7 | Administrative & Implementation cost (@ 2 % of the project Rs.482.89lakhs)forContractual services, Training (as per ATMA Guidelines 2018), POL, TA-DA &Hiring vehicle etc. | 9.65 | GoM | | |
| | Grant Total | Rs.492.54 Lakhs (493lakhs) (Four Crore, Ninty two thousand fifty four) | | | |

(प्रतिभा पाटील) उप सचिव महाराष्ट्र शासन